न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मनीष मेहरा पुत्र श्री मेनारामजी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम झालामण्ड, तहसील व जिला जोधपुर ।		01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थिति:–

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
02. अप्रार्थी की ओर से राजकीय पैरोकार ।

आदेश

दिनांक :–14.12.2020

पत्रावली आज पेश हुई । प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि:–

ग्राम धींगाणा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में मूल खसरा संख्या 162 कुल रकबा 54 बीघा 10 बिस्वा आयी हुई स्थित हैं । उक्त भूमि का आपसी सहमती से सभी सहखातेदारान ने मिलकर बंटवाडा कर दिया । जिस बंटवाडा का नामान्तरकरण संख्या 313 दर्ज किया जाकर प्रार्थी के हिस्से में खसरा संख्या 162/1 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा रखा गया एवं इसी प्रकार से अन्य सहखातेदार हरीराम वगैरा के हिस्से मे खसरा संख्या 162 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा रखा गया तथा अन्य सहखातेदार अणची के हिस्से में खसरा संख्या 162/2 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा रखा गया । उक्त बंटवाडा का नामान्तरकरण आपसी सहमती अनुसार किये गये बंटवाड़ा अनुसार सही दर्ज किया गया लेकिन उक्त नामान्तरकरण संख्या 313 का अमल दरामद तत्कालिन जमाबन्दी में करते समय लिपिकिय त्रुटिवश प्रार्थी के खसरा संख्या 162/1 के स्थान पर खसरा संख्या 162/2 दर्ज कर दिया गया तथा हरीरराम वगैरा के खसरा संख्या 162 के स्थान पर खसरा संख्या 162/1 दर्ज कर दिया गया तथा अणची के खसरा संख्या 162/2 के स्थान पर 162 दर्ज कर दिया गया । उक्त जो जमाबन्दी मे इन्द्राज करते समय लिपिकिय त्रुटि हुई हैं उससे राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज दुषित हुए हैं जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं । अंत में निवेदन किया कि ग्राम धींगाणा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के वर्तमान में दर्ज खसरा संख्या 162 के स्थान पर 162/2, खसरा संख्या 162/1 के स्थान पर 162 व खसरा संख्या 162/2 के स्थान पर 162/1 दर्ज किये जाने के तहसीलदार लूणी को आदेश पारित किया जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया एवं इस प्रकार के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की गयी जो कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जरिये कमांक/भूअ./2020/6120 दिनांक 02.11.2020 को प्रेषित की गयी जो कि शामिल मिशल हैं ।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी । अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लूणी द्वारा जो तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी हैं उसमें भी स्पष्ट

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

किया गया हैं कि उक्त बंटवाड़ा का नामान्तरकरण संख्या 313 का तत्कालीन जमाबन्दी में अलम दरामद करते समय लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थी मनीष मेहरा के खसरा संख्या 162/1 के स्थान पर 162/2 दर्ज कर दिया गया व हरिराम पुखराज लिछमणराम पिता हेमाराम के खसरा संख्या 162 के स्थान पर 162/1 दर्ज कर दिया गया तथा अणची पत्नि देवाराम के खसरा संख्या 162/2 के स्थान पर 162 दर्ज कर दिया गया जिसकी शुद्धि की जानी उचित हैं अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता हैं कि नामान्तरकरण संख्या 313 के अनुरूप अमल दरामद करते हुए ग्राम धींगाणा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के वर्तमान खसरा संख्या 162 हैं उसके स्थान पर 162/2, खसरा संख्या 162/1 के स्थान पर 162 व खसरा संख्या 162/2 के स्थान पर खसरा संख्या 162/1 दर्ज किया जावें तथा खातेदारों के नाम एवं रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावें ।

सहायक कलक्टर(गोपाल परिहार) अधिकारी,
लूणी
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
आर.ए.एस.
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner